क्रमांक– 3323.269 / 08 / 12 / 3376

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जलसंसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन तुलसी नगर भोपाल म0प्र0

भोपाल,दिनांक 31 / 12 / 16

/ /आदेश/ /

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11 / 1 / 2008 / नियम / चार, दिनांक 24 जनवरी–2008 परिपत्र क्रमाक एफ–11 / 17 / 2014 / नियम / चार दिनांक 30 सितम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर निम्नलिखित कर्मचारियों को(तृतीय उच्चतर वेतनमान) में वेतन बैंण्ड रू. 9300–34800 +ग्रेड पे रू. 3200 / --के ग्रेड वेतन की स्वीकृति उनके के नाम के समक्ष दर्शाये अनुसार दिनांक से प्रदान की जाती है :----

स.क्र	कर्मचारी का नाम व पदनाम	विभाग में प्रथम नियुक्ति दिनांक	समयमान वेतनमान प्रभावशील होने का दिनांक
01	श्रीमती कुसुमलता भटनागर अनुरेखक	15.03.1983	01.07.2014

सामान्य शर्ते–

1 समयमान स्वीकृति पर वेतन का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–8 / 2009 / नियम / चार दिनांक 23.03.2009 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 25.05.2009 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा । वेतन निर्धारण हेतु प्रपत्र दो पर आवश्यक विकल्प प्राप्त कर लिया जावे।

2 समयमान वेतन योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जावेगा परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानों का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

30.12.16

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल

पृ.क्रमांक 3323.269 / 08 / 12 / 3377

भोपाल दिनांक 31 / 12 / 2016

प्रतिलिपिः–

1 मुख्य अभियंता वि / या जल संसाधन विभाग भोपाल ।
2 अधीक्षण यंत्री, ...
3 कार्यपालन यंत्री ———————————————— ।
4 निज सहायक प्रमुख अभियता / अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता जल ससांधन विभाग भोपाल ।
5 संबंधित श्रीमती कुसुमलता भटनागर अनुरेखक द्वारा स.क.01
6 बेव मेनेजर कार्यालय परियोजना संचालक विश्व बेंक परियोजना भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

नोट स.क.1.2.3 के लिये–

संबंधित कार्यालय कृपया वेतन निर्धारण की कार्यवाही कर सेवा पुस्तिका की जॉच संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से कराने के पश्चात ही भुगतान करने की कार्यवाही की जाय ।

अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख अभियंता